176

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इंदौर म0प्र0

क0 / आर.एस.पी.–61 / 13 / नग्रानि / 2013 / 10014 इंदौर, दिनांक 30/12/13

प्रति,

श्रीमती मीनादेवी पति श्री संजयकुमार अग्रवाल
निवासी – "अग्रवाल हाउस",
5, यशवंत कॉलोनी, इंदौर (म0प्र0)

विषय :– ग्राम राउ, तहसील व जिला इंदौर की भूमि सर्वे कमांक 478 / 4 / 1, 478 / 4 / 2, 478 / 4 / 3, 478 / 4 / 4, 478 / 5 / 1, 478 / 5 / 2, 478 / 6 / 1 / 1, 478 / 6 / 1 / 2, 478 / 6 / 1 / 3, 478 / 6 / 1 / 4, 478 / 6 / 1 / 5, 478 / 2 / 1, 478 / 2 / 2, 478 / 2 / 3, 478 / 3, 478 / 7, 478 / 8, 478 / 9, 474 / 2 / 2 / 2, 474 / 2 / 6 / 1 एवं 474 / 2 / 2 / 3 कुल रकबा 2.669 हेक्टेयर भूमि पर पूर्व अनुमोदित अभिन्यास में संशोधन कर ग्रुप हाउसिंग के साथ व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संशोधित अभिन्यास अनुमोदन बाबद्।

संदर्भ :– आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 28 / 09 / 2013 एवं संशोधन हेतु म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 29(3) की विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 28 / 11 / 2013.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक श्रीमती मीनादेवी पति श्री संजयकुमार अग्रवाल निवासी – अग्रवाल हाउस, 5, यशवंत कॉलोनी, इंदौर (म0प्र0) द्वारा ग्राम राउ, तहसील व जिला इंदौर की भूमि सर्वे कमांक 478 / 4 / 1, 478 / 4 / 2, 478 / 4 / 3, 478 / 4 / 4, 478 / 5 / 1, 478 / 5 / 2, 478 / 6 / 1 / 1, 478 / 6 / 1 / 2, 478 / 6 / 1 / 3, 478 / 6 / 1 / 4, 478 / 6 / 1 / 5, 478 / 2 / 1, 478 / 2 / 2, 478 / 2 / 3, 478 / 3, 478 / 7, 478 / 8, 478 / 9, 474 / 2 / 2 / 2, 474 / 2 / 6 / 1 एवं 474 / 2 / 2 / 3 कुल रकबा 2.669 हेक्टेयर भूमि पर कार्यालयीन पत्र कमांक 4433 / एस0पी0–286 / 11 / नग्रानि / 2012, दिनांक 07 / 08 / 2012 द्वारा ग्रुप हाउसिंग हेतु स्वीकृत अभिन्यास में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के अधीन संशोधित अभिन्यास अनुमोदन हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

1. धारा 29(3) के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन व अनुज्ञा शुल्क चालान क्र0 2, दिनांक 26 / 09 / 2013 द्वारा राशि रू0 15,000 / –, चालान क्र0 4 दिनांक 26 / 12 / 2013 द्वारा राशि रू0 10,125 / – जमा एवं चालान क्र0 79 दिनांक 26 / 12 / 2013 द्वारा राशि रू0 1,00,087 / – जमा। इस प्रकार कुल राशि रू0 1,25,212 / – जमा।
3. पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की छायाप्रति।
4. प्रस्तावित संशोधित मानचित्र।
5. सीमांकन प्रतिवेदन एवं फील्ड बुक।
6. शपथ पत्र।

अविरत ............... 2

For Meena Devi Agarwal,
M Agrawal
Authorised Signatory.

प्रश्नाधीन भूमि का अभिन्यास इस कार्यालय के ज्ञाप कमांक 4433, दिनांक 07/08/2012 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उक्त अभिन्यास तत्समय प्रभावशील म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत अभिन्यास की प्रति म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इंदौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राउ, क्षेत्रिय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, इन्दौर एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इन्दौर की ओर प्रेषित की गई थी। प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व स्वीकृत अभिन्यास को ग्रुप हाउसिंग के साथ व्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है, इस परिवर्तन के फलस्वरूप अभिन्यास में संशोधन होने के कारण अभिन्यास म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के तहत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय का पत्र कमांक 4433 दिनांक 07/08/2012 को आवासीय ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन किया गया था। प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में ब्लॉक ए–1 एवं ए–2 में भूतल पर लोकल शॉप एवं प्रथम मंजिल पर ऑफिस एवं शेष तलों पर आवासीय उपयोग चाहा गया है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधित अभिन्यास में कुल 550 आवासीय इकाईयों का 15 प्रतिशत 83 आवासीय इकाईयों में से 60 प्रतिशत इकाईयॉ कमजोर आय वर्ग हेतु 49 आवासीय इकाईयॅा एवं 40 प्रतिशत निम्न आय वर्ग हेतु 34 आवासीय इकाईयॉ बनाकर देने का प्रावधान दिया गया है।

उपरोक्त संपूर्ण वस्तुस्थिति के परिपेक्ष्य में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के निर्धारित प्रारूप में प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र पत्रिका एवं नवभारत में दिनांक 28/11/2013 को किया गया। सूचना प्रकाशन दिनांक 28/11/2013 से पन्द्रह (15) दिवस दिनांक 13/12/2013 तक कोई आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथपत्र एवं फील्ड बुक तथा स्थल की स्थिति के आधार पर ग्राम राउ, तहसील व जिला इंदौर के सर्वे कमांक 478/4/1, 478/4/2, 478/4/3, 478/4/4, 478/5/1, 478/5/2, 478/6/1/1, 478/6/1/2, 478/6/1/3, 478/6/1/4, 478/6/1/5, 478/2/1, 478/2/2, 478/2/3, 478/3, 478/7, 478/8, 478/9, 474/2/2/2, 474/2/6/1 एवं 474/2/2/3 कुल रकबा 2.669 हेक्टेयर भूमि पर समूह आवास उपयोग हेतु संशोधित अभिन्यास म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के अध्ययीन रहते हुए निम्न शर्तो के साथ अनुमोदित किया जाता है :–

1. उक्त संशोधित अभिन्यास के फलस्वरूप विकास कार्यो हेतु संशोधित विकास अनुमति संबंधित सक्षम प्राधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, राउ, जिला इंदौर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

अविरत ............. 3

For Meena Devi Agarwal,
M Agrawal
Authorised Signatory.

2. संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए ब्लॉक ए–1 एवं ए–2 में भूतल पर लोकल शॉप एवं प्रथम तल पर ऑफिस उपयोग तथा शेष तलों पर आवासीय उपयोग मान्य होगा।

3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ब्लॉक ए–1 एवं ए–2 में स्थानीय दुकानों एवं व्यावसायिक कार्यालय उपयोग में प्रीमियम इंदौर विकास योजना 2021 की कंडिका 6.8.4 एवं 6.10.12 अनुसार संबंधित स्थानीय संस्था में जमा कराना होगा। भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय किये जाने के पूर्व नगर परिषद राउ द्वारा उक्त प्रीमियम की गणना कर राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

4. शेष शर्ते पूर्व में अनुमोदित अभिन्यास ज्ञाप कमांक 4433 दिनांक 07/08/2012 अनुसार यथावत् रहेगी।

संलग्नः– अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इंदौर (म0प्र0)

पृ0 क0/ /आर.एस.पी.–61/13/नग्रानि/2013 इंदौर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का वाद–विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो, तो इस प्रारंभिक अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, राउ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार, तहसील इंदौर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. वरिष्ठ पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रिय अधिकारी, म.प्र. प्रदुषण निवारण मण्डल, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. वेबसाईट कॉपी।

संलग्नः– अनुमोदित मानचित्र।

Sd

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इंदौर (म0प्र0)

For Meena Devi Agarwal,

Authorised Signatory.